भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1391

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 9 फरवरी, 2026

20 माघ, 1947 (शक)

एएमएएसआर अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान

1391. **श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के चारों ओर 100 मीटर निषिद्ध क्षेत्र और 200 मीटर नियंत्रित क्षेत्र के समान रूप से लागू होने के तर्क की समीक्षा की है;

(ख) क्या सरकार द्वारा स्मारक संरक्षण और आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के अधिकार एवं आजीविका के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु मामला-विशेष या स्तरीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है या अपनाये जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नियंत्रित क्षेत्रों में मामूली गैर-संरचनात्मक रखरखाव कार्य के लिए भी पूर्व अनुमति आवश्यक है और क्या इस आवश्यकता की समीक्षा की गई है;

(घ) क्या मामूली रखरखाव कार्यों को छूट देने और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार का अधिनियम और इसके अंतर्गत नियमों की समीक्षा करने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा अनुमति या एनओसी (एनओसी) प्रक्रिया को ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 (क) और 20 (ख) के अनुसार सभी संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों (स्थलों) के चारों ओर सामान रूप से 100 मीटर के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र और 200 मीटर के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ख): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 अधिनियम की धारा 20 (ड.) में प्रत्येक संरक्षित स्मारक और संरक्षित क्षेत्र (स्थलों) के लिए धरोहर उप-नियम तैयार करने का प्रावधान है ताकि निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर तर्क-संगत और संदर्भ-विशिष्ट धरोहर नियंत्रण किए जा सकें। ये नियंत्रण उनके महत्व और संवेदनशीलता पर आधारित हैं और ये धरोहरों की सुरक्षा के विकास की आवश्यकता और आस-पास के निवासियों की आजीविका के साथ संतुलित करने के लिए बनाए गए हैं।

(ग): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में किसी भी संरक्षित स्मारक और संरक्षित क्षेत्रों (स्थलों) के विनियमित क्षेत्र के भीतर अवस्थित किसी भी भवन अथवा संरचना की मरम्मत अथवा नवीनीकरण के लिए पूर्व अनुमति का प्रावधान है। इससे संबंधित कार्य मौजूदा संविधानिक प्रावधान के तहत शासित किए जाते हैं।

(घ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ): वर्ष 2015 में, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवेदनों को ऑनलाइन रूप से संसाधित करने के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ऑनलाइन आवेदन संसाधन प्रणाली नामक पोर्टल को शुरू किया गया था। इसे 14 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ एकीकृत किया गया है जिसमें एकल खिड़की प्रणाली के तहत चार शहरी स्थानीय निकाय और गैर-एकल खिड़की प्रणाली के तहत 1,407 शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं।

इस पोर्टल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के भुवन नामक पोर्टल और स्मार्ट मोबाइल ऐप के साथ एकीकृत किया गया है ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों को निर्बाध रूप से ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्राप्त हो सके। इसके साथ ही, इसे राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ भी एकीकृत किया गया है जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा मान्यता प्राप्त है जो अनुपालन का बोझ कम करने के साथ-साथ आवेदनों की अधिक पारदर्शिता और समयबद्ध निपटान भी सुनिश्चित करता है।

*****